भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *72

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

भूजल का पुनर्भरण

***72. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश भर में भूजल स्तर के पुनर्भरण/सुधार हेतु कोई पहल/उपाय किए हैं या कोई योजनाएँ कार्यान्वित की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्यवार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में भूजल स्तर के मानचित्रण और मापन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), उपग्रह मानचित्रण और ऐसी अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर विचार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश भर में भूजल स्तर में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी. आर. पाटील)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"भूजल का पुनर्भरण" के संबंध में दिनांक 24.07.2025 को लोकसभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न संख्या *72 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण।

(क): जल के राज्य का विषय होने के कारण, भूजल के विकास, विनियमन और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार अपनी संस्थाओं और विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस संबंध में, देश में भूजल स्तर की निरंतर निगरानी और सुधार के लिए विभिन्न परियोजनाएं एवं योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जिसका सार नीचे दिया गया है:

- जल शक्ति मंत्रालय वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेसए) कार्यान्वित कर रहा है जो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियां जैसे चेक डैम, तालाब, पुनर्भरण शेफ्ट/पीट आदि के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से संसाधनों का सक्रिय अभिसरण भी होता है। वर्तमान में, देश में जेसए 2024 का कार्यान्वयन जारी है, जिसमें अति-दोहित और संकट ग्रस्त जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त देश में अभिसरण और भागीदारी के माध्यम से बड़े पैमाने पर लागत प्रभावी और स्थानीय रूप से उपयुक्त कृत्रिम पुनर्भरण अवसंरचनाओं का निर्माण के लिए वर्ष 2024 के दौरान जेसए के अंतर्गत जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल शुरू की गई।
- जल शक्ति मंत्रालय, चिन्हित 7 राज्यों के 80 जल संकटग्रस्त जिलों में अटल भूजल योजना को भी क्रियान्वित कर रहा है, जिससे सामुदायिक भागिदारी से भूजल संसाधनों का सतत् प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने और जल की मांग को कम करने के लिए विभिन्न आपूर्ति और मांग संबंधी हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं।

- केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) भूजल स्तर का विनियमन और निगरानी करता है और संपूर्ण देश में भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का आंकलन भी करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (नेक्यूम) के तहत देश के संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र के लिए जलभृत मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है और जिला-वार जलभृत प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई है और संबंधित प्रशासनों को इसे प्रेषित किया गया है। इसके अलावा, नेक्यूम 2.0 के अंतर्गत, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे जल की कमी वाले क्षेत्रों, शहरी समूहों, तटीय क्षेत्रों पर बल देते हुए विस्तृत सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन का कार्य किया गया है।

- भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान-2020 को सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से तैयार किया गया है, जो देश की विभिन्न भूभाग

स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाने वाली एक वृहत स्तरीय योजना है। इस मास्टर प्लान में देश में 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) जल का उपयोग करने के लिए लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करने की परिकल्पना है।

- भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरूद्धार करना था, जिससे जल भंडारण में वृद्धि और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा दिया जा सके।
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए और एफडब्ल्यू) वर्ष 2015-16 से पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना कार्यान्वित कर रहा है, जो सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है और इस प्रकार पानी की मांग को कम करते हुए भूजल की स्थिति में सुधार करती है।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त, कई राज्य सरकारें सतत जल संसाधन सुधार और प्रबंधन को लक्षित करते हुए अपनी योजनाएँ कार्यान्वित कर रही हैं।

(ख): जल शक्ति अभियान के अंतर्गत, जो सभी भूजल सुधार गतिविधियों को समाहित करने के लिए एक अम्ब्रेला अभियान है, अप्रैल 2021 से जुलाई 2025 तक मनरेगा के माध्यम से अभिसरण द्वारा पानी के संरक्षण, कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन गतिविधियों/कार्य में 1.18 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इसी तरह, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए, इसी अवधि के दौरान लगभग 9,814 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। किए गए व्यय का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): उन्नत वैश्विक प्रणालियों का लाभ लेने के लिए, इस मंत्रालय ने अधिक सटीक भूजल मानचित्रण, निगरानी और आकलन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक को अपनाया है। सीजीडब्ल्यूबी, नेक्यूम अध्ययन और कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान सहित वैज्ञानिक, क्षेत्र-विशिष्ट प्रबंधन और पुनर्भरण योजनाएँ विकसित करने के लिए जीआईएस टूल, रिमोट सेंसिंग, और उपग्रह डेटा का उपयोग करता है।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं जैसे कि ग्राउंड वॉटर प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएम एंड आर) योजना, अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना (एनएचपी) आदि के अंतर्गत देश भर में टेलीमेट्री सिस्टम के साथ डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये उपकरण उच्च आवृत्ति जल स्तर डेटा को सीधे फील्ड से एक केंद्रीय सर्वर में ट्रांस्मिट करते हैं, जो इस डेटा तक लगभग वास्तविक समय की उपलब्धता को सुगम बनाता है, जिससे मजबूत नीति निर्माण में सहायता मिलती है।

इसके अतिरिक्त, देश के शुष्क उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में जलभृतों के हाई रेजोल्यूशन मानचित्रण हेतु, सीएसआईआर-एनजीआरआई के सहयोग से, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा ट्रांसियंट इलेक्ट्रोमेग्नेटिक विधियों को अपनाते हुए हेली-बॉर्न भूभौतिकीय सर्वेक्षण किए गए हैं। इस सर्वेक्षण में भूजल अन्वेषण के साथ-साथ कृत्रिम पुनर्भरण के लिए कई संभावित स्थलों की पहचान की गई है।

(घ): सरकार, देश में भूजल संबंधी समस्याओं के संबंध में लोगों में जागरूकता लाने और भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन हेतु सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर रूप से प्रयास कर रही है। इस संबंध में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाए निम्नानुसार हैं:

- जल शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य जल बचाने की आवश्यकता के प्रति समुदायों को जागरूक करना और जल संरक्षण कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। अभियानों, कार्यशालाओं और स्थानीय पहलों के माध्यम से, यह नागरिकों को वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और कुशल जल उपयोग के संबंध में शिक्षित करता है। इसके अतिरिक्त, देश के प्रत्येक जिले में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं जो लोगों को जल संबंधी विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्रदान करते हुए और सलाह देते हुए ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं।
- भूजल प्रबंधन को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के उद्देश्य से, जेएसए के अंतर्गत जेएसजेबी अभियान शुरू किया गया। सरकार और समुदाय, दोनों के प्रयासों और निधियों को एकीकृत करते हुए यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल संबंधी चुनौतियों के अनुरूप लागत-प्रभावी, स्थानीय स्तर के समाधान विकसित करने हेतु सामुदायिक स्वामित्व और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।
- अटल भूजल योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय भूजल मुद्दों पर बड़े स्तर पर सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) और जागरूकता गतिविधियाँ शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, नियमित ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने स्थानीय ग्रामीणों को अपनी पंचायतों के लिए जल बजट और जल सुरक्षा योजनाएँ तैयार करने में सक्षम बनाया है।
- केन्द्रीय भूजल बोर्ड स्थानीय भूजल मुद्दों पर विभिन्न जन वार्ता कार्यक्रम (पीआईपी) आयोजित करता है, जिसमें वर्षा जल संचयन तकनीकों, जल संचयन संरचनाओं के निर्माण और संरक्षण आदि के संबंध में स्थानीय जनता को जागरूक किया जाता है।

*****

अनुलग्नक-।

"भूजल का पुनर्भरण" के संबंध में दिनांक 24.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न संख्या *72 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2021-25 के दौरान मनरेगा के अभिसरण में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत किया गया राज्य-वार व्यय (लाख रूपए में)							
क्र.सं.	**राज्य**	**जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन**	**पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण**	**पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएँ**	**वाटरशेड विकास**	**सघन वनीकरण**	**कुल योग**
1	अंडमान और निकोबार	147	99	1	124	7	378
2	**आंध्र प्रदेश**	**273580**	**469571**	**364**	**186559**	**51336**	**981411**
3	अरुणाचल प्रदेश	13892	886	2659	6098	19614	43143
4	असम	60377	13567	119	122439	15418	211914
5	बिहार	211196	43859	8385	146723	27544	437708
6	छत्तीसगढ़	251101	156291	7354	63766	29172	507683
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
8	गोवा	46	121	30	106	16	319
9	गुजरात	43947	57250	1307	51837	19447	173791
10	हरियाणा	11012	14019	207	20853	2282	48374
11	हिमाचल प्रदेश	17949	3876	784	52710	7273	82590
12	जम्मू और कश्मीर	36413	8197	14619	69237	6927	135395
13	झारखंड	80574	2160	920	83972	27832	195460
14	कर्नाटक	259995	92652	41581	254500	266082	914807

15	केरल	118159	41839	30318	425992	55815	672123
16	लद्दाख	2953	130	1031	2953	155	7222
17	लक्षद्वीप	0	2	0	0	2	4
18	मध्य प्रदेश	422781	50997	20527	256107	57985	808395
19	महाराष्ट्र	30434	18194	3225	24700	84844	161397
20	मणिपुर	35907	12771	286	9887	16417	75271
21	मेघालय	22590	2642	619	23956	14311	64119
22	मिजोरम	33003	1815	1169	14320	4420	54729
23	नागालैंड	9807	3251	303	7621	31579	52563
24	ओडिशा	205492	116123	9617	234166	147239	712636
25	पुदुचेरी	106	2905	0	15	2	3029
26	पंजाब	8502	41796	719	33749	33840	118601
27	राजस्थान	701945	245079	3779	194947	117182	1262928
28	सिक्किम	2546	91	195	6757	4007	13595
29	तमिलनाडु	956291	161530	29904	404985	64375	1617082
30	तेलंगाना	31559	92440	245	51433	61164	236849
31	त्रिपुरा	46563	4197	1332	53198	30091	135381
32	उत्तर प्रदेश	229263	169432	4750	811800	54980	1270227
33	उत्तराखंड	23234	7445	1716	58003	8496	98896
34	पश्चिम बंगाल	199513	137368	11191	128166	233781	710019
कुल (लाख में)		**4340877**	**1972595**	**199256**	**3801679**	**1493635**	**11808039**

*****